

फर्दे अहकाम

(नियम 20)

अज अवलत उपखण्ड अधिकारी सिकराय
 सरकार बनाम नाथू लाल / सिकराय
 किरम मुकदमा मुापा मु० नं० 101/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

25.01.23

पञ्जाबली निर्माण हेतु पेशा बध्म उभयपक्ष
 अधिवक्तागण पर गैर किमा गणना बकील
 प्राप्ति ह्या- द्वारा कथन किमा गणना कि प्राप्ति
 20070 3048 से रास्ता मांग रहे थे जो मोठे
 पर गैबल रोड के रूप में चालू की उमर
 शर्त को अधिवक्तागण द्वारा वेड करने का
 प्रयास किमा जा रघ ही करे: अधिवक्तागण
 को पुल वाड के निर्माण तक 40 मि० से
 पाबंद किमा आये। बकील अधिवक्तागण द्वारा
 निवेदन किमा गणना कि NTPR सिक्करा
 की रिपोर्ट में मोठे पर किमी प्रमाट की
 संशुद्ध नहीं होना जाहिर किमा ही तथा प्राप्ति
 द्वारा चालू गणना वाला 251(ड) नियमावली
 नहीं है पञ्जाबली पर उपलब्ध उप बध्म
 सिक्करा की रिपोर्ट के अवलोकन से यह
 स्पष्ट है कि मोठे पर कोई गैबल नशुद्ध
 नहीं है बकील अधिवक्तागण द्वारा उमर रिपोर्ट
 पर आपत्ति भी पेश की गई है।

अतः आपत्ति जाहना पर पर पुल प्राप्ति
 पर 251(ड) से रिपोर्ट ली जाये जाहना पर
 अस्माई निर्देश दिनांक 20.07.2022
 कार्रवाई की जाती है पञ्जाबली पुल
 शुमाट होकर नशुद्ध से काम है।

उपखण्ड अधिकारी
 सिकराय (दौसा)